न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 113/2019 (द0प्र0सं0 की धारा 145 के तहत)

कन्हाय महतो ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

सुन्दर महतो वगैरह ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

18/02/25

अंचल अधिकारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर उभय पक्ष के मध्य भू-विवाद के कारण निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर दिनांक 30.07.2019 की प्रभावी तिथि से द0 प्र0 स0 की धारा 145 के तहत कार्यवाई आरंभ की गई।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा- बिहारो, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह;
खाता नं0- 120, प्लॉट नं0- 1291, रकबा- $6\frac{1}{2}$ डी0
चौहद्दी : -
उ0- चेतो महतो,
द0- रास्ता,
पू0- प्रयाग महतो
प0- रास्ता

उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की गई।

प्रथम पक्ष अपने आवेदन में बतलाते है कि विवादग्रस्त भूमि रैयती खतियानी भूमि है तथा द्वितीय पक्ष भी उसी खतियानी रैयत के वंशज है। प्रथम पक्ष अपने आवेदन में बतलाते है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि कुल रकबा 13 डी0 है। प्रथम पक्ष के हिस्से 6.50 डी0 भूमि आया तथा द्वितीय पक्ष के हिस्से में 6.50 डी0 भूमि आया। प्रथम पक्ष आगे बतलाते है कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के पिता को रजिस्ट्री विक्रयपत्र सं0- 1226 दिनांक 05/07/89 द्वारा उक्त जमीन में से 5 डी0 बिक्री कर दिया है। अत: उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष को कोई हक-हकीयत व अधिकार नही है।

प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में खतियान की छायाप्रति, रजिस्ट्री विक्रयपत्र 9917 की छायाप्रति, एक अन्य केवाला की छायाप्रति जमा करते हैं।

प्रथम पक्ष कन्हाय महतो अपनी गवाही तथा प्रतिपरीक्षण में निम्नलिखित तथ्य स्वीकार करते हैं -

द्वितीय पक्ष उक्त विवादग्रस्त भूमि के संपूर्ण रकबा को हड़पना चाहता है इसलिए विवाद है। उक्त खाते के 6.5 डी0 जमीन के हिस्से पर प्रथम पक्ष दखल कब्जा में है तथा उक्त जमीन का प्रयोग रास्ते के रूप में करते आए हैं। प्रतिपरीक्षण में प्रथम पक्ष कन्हाय महतो स्वीकार करते है कि विवादित प्लॉट 1291 का कुछ हिस्सा द्वितीय पक्ष के दखल कब्जे में है तथा सर्वे के समय से ही द्वितीय पक्ष के पूर्वज का मिट्टी का घर बना हुआ है। हाल सर्वे या मिनी सर्वे 1961 में इसी कारण विपक्षी के पिता का कब्जा पाया गया था। विवादग्रस्त भूमि पर मेरा रास्ता है तथा रास्ता को लेकर ही विवाद है। प्रथम पक्ष यह भी स्वीकार करते है कि द्वितीय पक्ष को परेशान करने के लिए मुकदमा लाए हैं।

प्रथम पक्ष के गवाह सीताराम महतो अपनी गवाही तथा प्रतिपरीक्षण में निम्नलिखित तथ्य स्वीकार करते हैं -

पूर्व का $6\frac{1}{2}$ डी0 तथा वर्त्तमान खरीदगी 5 डी0 अर्थात् कुल $11\frac{1}{2}$ डी0 जमीन पर कन्हाय महतो (प्रथम पक्ष) का दखल-कब्जा है। उक्त रकबा पर विपक्षीगण का कोई दखल-कब्जा नहीं है। विवादित भूमि पर विवाद कभी भी नहीं रहा है। यह मुकदमा तथ्यहीन तथा निराधार है।

द्वितीय पक्ष के पक्षकार टहल महतो अपनी गवाही तथा प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि जमीन पूर्व से ही चहारदीवारी से घिरा है तथा कच्चा-पक्का मकान बना है। प्रथम पक्ष के पास उक्त जमीन का कोई कागजात नहीं है और ना ही जोत कोड़ करते हैं। जमीन खतियानी है तथा उनके पिता नुनु महतो के नाम से दर्ज है। दखलकार नुनु महतो है जो कि मेरे पिता हैं। उक्त बाउण्ड्री मेरे पिता के द्वारा किया गया है। हाल सर्वे में भी मेरे पिता का दखल कब्जा पाया गया है।

अंचल अधिकारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार विवादग्रस्त भूमि पर पूर्व से ही द्वितीय पक्ष के द्वारा दीवार दिया गया है तथा भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल-कब्जा है। दोनों पक्षों के बीच रास्ते को लेकर विवाद है परन्तु रास्ता अवरूद्ध नहीं है।

थाना प्रभारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि पर कोई नया कार्य द्वितीय पक्ष के द्वारा नहीं किया गया है। वर्णित चहारदीवारी पुरानी है जो कि द्वितीय पक्ष के द्वारा की गई है।

उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अध्ययन, गवाहों के मुख्य परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण का मुल्यांकन, अंचल अधिकारी बगोदर तथा थाना प्रभारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि उभय

पक्ष एक ही खतियान के रैयतों के वंशज हैं। प्रथम पक्ष ने स्वयं अपने बयान में स्वीकार किया है कि विवादग्रस्त जमीन पर काफी पूर्व से द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है। उक्त भूमि पर उनका रास्ता मात्र तथा रास्ते को लेकर विवाद है। प्रथम पक्ष के गवाह ने यह बतलाया कि प्रथम पक्ष के हिस्से की $11\frac{1}{2}$ डी0 पर प्रथम पक्ष का ही दखल कब्जा है। उक्त स्थल पर कोई विवाद नहीं है। अंचल अधिकारी बगोदर के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष की चहारदीवारी काफी पूर्व से है अर्थात् द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष को बेदखल कर कोई नया निर्माण नहीं किया गया है। थाना प्रभारी के प्रतिवेदन में भी उक्त तथ्य की संपुष्टि हुई है।

इस प्रकार यह स्पष्टतया प्रमाणित होता है कि विवादग्रस्त भूमि पर दखल कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं है एवं प्रथम पक्ष किसी भी साक्ष्य से द्वितीय पक्ष के द्वारा उनको बेदखल किया जाना प्रमाणित नहीं कर पाए। चुँकि दखल-कब्जा से संबंधित कोई तथ्य विवाद में सम्मिलित नहीं है।

अतः द0प्र0सं0 की धारा 145 के तहत दखल-कब्जे की संपुष्टि संबंधी किसी नए आदेश को पारित करना न्यायोचित नहीं होगा। उक्त निर्णय के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

18/02/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

18/02/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.03.03 17:10:48 +05:30
Location: 192.168.1.3